इकाई 25 आर्थिक सुधार संबंधी संकल्पनाएँ और औचित्य

इकाई की रूपरेखा

25.0 उद्देश्य
25.1 प्रस्तावना
25.2 उदारीकरण की संकल्पनाएँ
  25.2.1 उदारीकरण संबंधी कार्य
  25.2.2 उदारीकरण से लाभ
  25.2.3 उदारीकरण के संबंध में प्रगति
25.3 विश्वव्यापीकरण की संकल्पना
  25.3.1 विश्वव्यापीकरण के कारक
  25.3.2 विश्वव्यापीकरण क्या कोई नई घटना है?
  25.3.3 विश्वव्यापीकरण के लाभ
  25.3.4 विश्वव्यापीकरण और राज्य
25.4 निजीकरण की संकल्पना
25.5 भारत में आर्थिक सुधारों का औचित्य
  25.5.1 आर्थिक सुधारों के घटक
25.6 सारांश
25.7 शब्दावली
25.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें
25.9 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा दिशा-संकेत

25.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित का उत्तर दे पाएँगे :

- 'उदारीकरण', 'निजीकरण' और 'विश्वव्यापीकरण' जैसे विभिन्न शब्दों के अर्थ;
- भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उदारीकरण की आवश्यकता और उनका महत्त्व;
- निजीकरण के रूप;
- विश्वव्यापीकरण से अभिप्राय;
- विश्वव्यापीकरण की विधियाँ या उसके कारक; तथा
- आर्थिक सुधारों का औचित्य।

25.1 प्रस्तावना

1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुरू होने के बाद के प्रथम चार दशकों में देश का औद्योगीकरण करने के लिए योजना की युक्ति को अपनाया गया। योजनाओं का कार्यान्वयन मिली-जुली अर्थव्यवस्था के ढाँचे के अंतर्गत किया गया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रक और सरकार द्वारा (अधिक पक्वनावधि, आय की कम दर तथा भारी निवेश की आवश्यकताओं के कारण) तथा निजी क्षेत्रक के अंतर्गत मुख्यतः उपभोक्ता वस्तु उद्योगों को रखा गया। प्रत्येक आनुक्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के चार मुख्य उद्देश्य ये थे– 'तेजी से आर्थिक संवृद्धि', 'आधुनिकीकरण', 'स्वाबलंबन' और 'सामाजिक न्याय'। विदेशी बाज़ारों की प्रतियोगिता से देशीय बाज़ार को संरक्षण प्रदान करने के लिए तटकर की दरें ऊँची करके और अन्य प्रकार के प्रतिबंधों को लगाकर देश को स्वाबलंबी बनाने का प्रयास किया गया।

स्वाबलंबन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वास्तविक नीति के जिन प्रमुख साधनों का उपयोग किया गया वे थे उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम (IDRA), 1951 के अंतर्गत व्यापक औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली और संरक्षक विदेश व्यापार प्रणाली। इसने केवल उद्योग में प्रवेश को ही नहीं रोका बल्कि क्षमता का प्रसार किया तथा प्रौद्योगिकी, उत्पाद-मिश्रण और आयात घटकों को बढ़ावा भी दिया। इसके अतिरिक्त एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक अधिनियम (MRTP) 1969 के द्वारा आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण पर प्रतिबंध लगाया गया। अंततः भारत में विदेशी निवेश के विनियमन के लिए विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम (FERA) 1973 का प्रयोग किया गया। इन्होंने अत्यधिक संरक्षित उद्योग प्रणाली का निर्माण किया, जिसमें न तो समुचित आंतरिक प्रतियोगिता हो सकती थी और न ही औद्योगिक विकास के लिए सही रूप से आयोजन हो सकता था।

भारतीय अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध ढाँचे से निकालकर उसे बाज़ार-उन्मुख बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1991 में बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को शुरू किया। इसके लिए सरकार ने नीतियों संबंधी अनेक निर्णय लिये; जिनका उद्देश्य था राजकोषीय अनुशासन, सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों (PSEs) के निजीकरण, उदारीकरण के संवर्धन, देशीय वित्तीय बाज़ारों पर नियंत्रण को हटाने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने को प्रोत्साहन प्रदान करना। ये आर्थिक सुधार आमतौर पर तीन जातिवाचक शब्दों (generic terms) के अंतर्गत आते हैं– उदारीकरण, निजीकरण और विश्वव्यापीकरण।

25.2 उदारीकरण की संकल्पनाएँ

उदारीकरण आर्थिक नीति में परिवर्तन की प्रक्रिया है। पिछले दशक में उदारीकरण समस्त विश्व में आर्थिक नीति का प्रतीक रहा है। प्रायः सभी देशों में आर्थिक कार्यकलापों में निजी उद्यम की भूमिका को बढ़ाने के संबंध में महत्त्वपूर्ण कदम उठाएँ हैं। ऐसे प्रयास पूर्वी यूरोप के पहले की केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और लैटिन अमेरिका में तथा यहाँ तक कि यूरोप के उन्नत मिली-जुली अर्थव्यवस्थाओं तक में हुए हैं। (i) केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जैसे कुछ देशों में प्रणाली में आमूल परिवर्तन आ गए हैं (ii) लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में विकास को बढ़ावा देने के संबंध सैद्धांतिक परिवर्तन आ गए हैं तथा (iii) यूरोप की कुछ अर्थव्यवस्थाओं में मिली-जुली अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका के संबंध में समायोजन आया है।

25.2.1 उदारीकरण संबंधी कार्य

उदारीकरण की नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए अनेक विशेष प्रकार के कार्य किए गए हैं– (i) प्रणाली में आमूल परिवर्तन, जैसे कि पूर्वी यूरोप की केंद्र से नियंत्रित अर्थव्यवस्थाओं में, (ii) विकास को बढ़ावा देने के संबंध में विचारधारा में बहुत अधिक बदलाव, जैसा कि लैटिन अमेरिका के देशों में तथा (iii) सरकार की भूमिका में समायोजन, जैसे कि यूरोप के विकसित अर्थव्यवस्थाओं में हुआ।

प्रणाली को बदलने के फलस्वरूप आवश्यक हो गया कि समस्त अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन कार्य से सरकार अपने को अलग कर ले तथा बाज़ार अर्थव्यवस्था के उपयुक्त संस्थागत और कानूनी ढाँचे की स्थापना की जाए। उत्पादन की व्यवस्था के लिए जो अर्थव्यवस्थाएँ मुख्यतः निजी उद्यम पर निर्भर रहती हैं, उनमें राज्य की भूमिका बहुत घट गई है तथा उसे नया रूप दिया गया है। संक्रमण एवं बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं में निजी क्षेत्रक के कार्यकलापों के मार्ग-निर्देशन संबंधी सरकारी नियम-कानूनों में बहुत कमी हुई है तथा दिन-प्रतिदिन उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं के अनुसार इन नियम-कानूनों को नया रूप दिया गया है, जैसे कि वित्त और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित समस्याएँ।

25.2.2 उदारीकरण से लाभ

सभी देशों में विदेशों के साथ लेन-देन उदारीकरण की युक्तियों का प्रमुख घटक रहा है। ऐसा इसलिए कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश और पूँजी संचलन का उदारीकरण करने से दक्षता के आबंटन में सुधार आ सकता है और अर्थव्यवस्था में अधिक गति आ सकती है, जिससे आर्थिक संवृद्धि तेजी से हो सकती है। व्यापार की निर्बन्धता के बढ़ने से निम्नलिखित प्रकार के लाभ हो सकते हैं :

i) बाहर के देशों के साथ प्रतियोगिता के कारण नवीन प्रक्रियाओं और देशीय फर्मों की उत्पादिता में सुधार।

ii) अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता और विशेषता के बढ़ जाने से उपभोक्ताओं को लाभ होता है क्योंकि वे अनेक प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं में से चुनाव कर सकते हैं तथा उपर्युक्त की कीमतें भी कम हो जाती हैं।

iii) उत्पादक विपरीत बाह्य परिवर्तनों के अनुकूल अपने को बना पाते हैं तथा उन्हें कम जोखिमों का सामना करना होता है।

iv) उत्पादन के कारकों की गतिशीलता बढ़ जाती है, विशेषतः पूँजी और प्रौद्योगिकी किसी देश को स्थिर तुलनात्मक लाभ के बंधन से मुक्त कर सकती है तथा सतत आर्थिक संवृद्धि और उत्पादिता लाभ के लिए साधन उपलब्ध होते हैं।

v) पूँजी संचलन के उदारीकरण का अर्थ होता है कि देशीय बचतों और देशी निवेश के बीच के संबंध में ढील दी जा सकती है, जिससे अभिप्राय है कि देश के अंदर यदि बचत कम होती है तो उससे देश में निवेश में कमी नहीं होगी तथा इसके विपरीत यदि देश में यदि अधिक धन की बचत होने लगती है तो उनका निवेश उन देशों में होना चाहिए जहाँ उनकी आवश्यकता होगी।

25.2.3 उदारीकरण के संबंध में प्रगति

परंतु जहाँ तक व्यापार, निवेश और वित्त का संबंध है, उदारीकरण विभिन्न गतियों से और विभिन्न प्रकार से हुआ है। अभी भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उदारीकरण आंशिक रूप में ही हुआ है – जिनमें कृषि एवं कपड़ा उद्योग शामिल हैं, जो विकासोन्मुख देशों के लिए विशेष महत्व के हैं, परंतु अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण बहुत अधिक हुआ है।

निवेश का उदारीकरण बहुत अधिक असमान प्रकार से हुआ है जो परिवर्तन किए गए उनके अंतर्गत आते हैं– विदेशी निवेशकों को जिन बाधाओं का सामना करना होता है उन्हें कुछ कम करना या उन्हें बिल्कुल ही समाप्त कर देना, उनके कार्यों के संबंध में मापदंड स्थापित करना, अधिकाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन देना तथा समुचित रूप से बाज़ार के प्रचालन के संबंध में कुछ कदम उठाना। इसके अतिरिक्त उदारीकरण के इन कार्यों के साथ-साथ प्रायः कुछ अन्य उपाय भी किए गए, जिनका उद्देश्य संचालन निगमों (TNCs) के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना था, विशेषतः विदेशी निवेशकों को बेहतर संरक्षण प्रदान करके।

व्यापार के उदारीकरण और प्रत्यक्ष विदेशी प्रणाली के साथ-साथ विदेशी लेन-देनों का उदारीकरण भी किया गया। विकासोन्मुख देशों में वित्तीय उदारीकरण प्रायः कम उन्नत कोटि का रहा है, परंतु इस संबंध में परिवर्तन बड़ी तेजी से हुआ है। अनेक विकासोन्मुख देशों में अनिवासी निवेशकर्ताओं द्वारा देश के अंदर निवेश को प्रायः छूट दे दी गई है। जहाँ तक बाह्य लेन-देनों का प्रश्न है, अधिकाधिक विकासोन्मुख देशों ने हाल के वर्षों में पूँजी खाता मुद्रा-परिवर्तन (capital account convertibility) को अपना लिया है। निवासियों के बीच विदेशी मुद्रा में लेनदेनों के उदारीकरण के संबंध में बहुत अधिक प्रगति हुई है। निवासियों को प्रोत्साहित किया जाने लगा है कि देश के अंदर के बैंकों में विदेशी मुद्रायें जमा करें। व्यापार और निवेश के उदारीकरण पर क्षेत्रीय एकीकरण के प्रयासों के प्रसार और गहनता का प्रभाव पड़ा है।

बोध प्रश्न 1

1) आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं।

.....

.....

.....

.....

.....

2) उदारीकरण शब्द की परिभाषा दीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

3) देशीय उदारीकरण और बाह्य उदारीकरण में अंतर बताइए।

.....

.....

.....

.....

.....

25.3 विश्वव्यापीकरण की संकल्पना

विश्वव्यापीकरण की परिभाषा विभिन्न प्रकार से दी जा सकती है, जो इस बात पर निर्भर करेगी कि हम किस स्तर पर जोर देना चाहते हैं। समस्त विश्व को विश्वव्यापीकरण की बात की जा सकती है, किसी एक देश के किसी विशेष कंपनी के, किसी व्यवसाय की किसी विशेष शृंखला के या किसी कंपनी के अंतर्गत के कार्य के विश्वव्यापीकरण की।

समस्त विश्व के स्तर पर विश्वव्यापीकरण से अभिप्राय होता है देशों के बीच बढ़ती हुई आर्थिक परस्पर निर्भरता, जो सीमाओं के आर-पार वस्तुओं, सेवाओं, पूँजी और विशेषता के बढ़ते हुए प्रवाह में दिखाई पड़ती है। निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ इसके स्पष्ट प्रमाण हैं :

- 1989 और 1999 के बीच वस्तुओं और सेवा में सीमा पर व्यापार में वृद्धि की औसत दर प्रतिवर्ष 6.1 प्रतिशत थी जो इसी अवधि में विश्व के जी.डी.पी. की औसत वार्षिक वृद्धि पर (3.1 प्रतिशत) की दुगनी थी।

- 1980 और 1999 के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विश्व के GDP के 4.8 प्रतिशत से बढ़कर 9.4 प्रतिशत हो गया।

- 1970 में जी.डी.पी. के अनुपात के रूप में बांडों और ईक्विटियों में सीमा पार लेन-देन यू.एस., जर्मनी और जर्मनी में 5% थे। 1999 तक इन देशों से संबंधित ये अंक बढ़कर क्रमशः 149 प्रतिशत, 202 प्रतिशत और 87 प्रतिशत हो गए।

किसी विशेष देश के स्तर पर विश्वव्यापीकरण से अभिप्राय होता है कि किसी देश की अर्थव्यापीकरण शेष विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ किस स्तर तक जुड़ी है।

विश्वव्यापीकरण में दिन-प्रतिदिन प्रगति होने के बावजूद विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के साथ सभी देशों का एकीकरण समान रूप से नहीं हुआ है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापी एकीकरण को मापने के लिए कुछ प्रमुख सूचक हैं– जी.डी.पी. के अनुपात के रूप में निर्यात और आयात, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियों मैनेजमेंट के आवक और जावक प्रवाह तथा टेक्नॉलोजी हस्तांतरण से संबंधित रॉयल्टी का आवक और जावक प्रवाह।

किसी विशेष उद्योग के स्तर पर विश्वव्यापीकरण से अभिप्राय होता है किसी देश के उस उद्योग से किसी कंपनी की प्रतिस्पर्धा स्थिति किसी अन्य देश की ऐसी स्थिति पर कहाँ तक परस्पर निर्भर है। कोई उद्योग जितना ही अधिक विश्वव्यापी होगा उसे अन्य देशों में प्रौद्योगिकी, कौशल, विनिर्माण शक्ति, ब्रांड और/या पूँजी के संबंध में उतना ही अधिक लाभ होगा। उद्योगों के विश्वव्यापीकरण पर सभी बाज़ारों में कुछ विश्वव्यापी कंपनियों का प्रभुत्व होता है जो अनेक देशों में उनके कार्यों का समायोजन करती है। उदाहरणार्थ खिलाड़ियों के जूता-उद्योग पर नाइक, रीबुक और अडिडैस का प्रभुत्व है। भेशज-निर्माण उद्योग का विश्वव्यापीकरण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आँकड़ों से पता चलता है कि इस उद्योग में सीमा के आर-पार व्यापार की तुलना में सीमा के आर-पार निवेश अधिक तेजी से बढ़ा है।

किसी विशेष कंपनी के स्तर पर विश्वव्यापीकरण से अभिप्राय होता है कि किसी कंपनी में अपनी आय और परिसम्पत्तियों के आधार का विस्तार अन्य देशों में कहाँ तक किया है और नियंत्रित कंपनियों के बीच पूँजी, वस्तुओं और तकनीकी जानकारी का आवागमन कितनी मात्रा में हो पाता है। अत्यधिक विश्वव्यापीकरण की गई कंपनी का एक अच्छा उदाहरण टोयाटा है। 12 देशों में उसके पूर्णतः या अंशतः स्वामित्व के अंतर्गत की उसकी संबद्ध कंपनियों में हुआ। इसके अतिरिक्त टोयाटा ने जापान से अपने देशीय उत्पादन का 38% विदेशी बाज़ारों को निर्यात किया तथा अपनी संबद्ध कंपनियों के आपसी व्यापार को भी प्रोत्साहन दिया। उदाहरणार्थ, दक्षिण-पूर्वी एशिया के क्षेत्रीय ढाँचे के अंतर्गत टोयाटा ने थाईलैंड से डीज़ल इंजनों का, फिलिपीन्स से ट्रांसमिशन का, मलेशिया से स्टियरिंग गियरों का तथा इंडोनेशिया से इंजनों का निर्यात किया। किसी कंपनी के विश्वव्यापीकरण के मुख्य सूचक हैं – विक्रय-आय तथा परिसंपत्ति के आधार का अंतरराष्ट्रीय प्रसार, मध्यवर्ती तथा तैयार माल का फर्मों के बीच व्यापार तथा प्रौद्योगिकी का फर्मों के बीच प्रवाह।

25.3.1 विश्वव्यापीकरण के कारक

विश्वव्यापीकरण के होने का कारण यह है कि विशिष्ट कंपनियों के विशिष्ट प्रबंधक ऐसे निर्णय लेते हैं जिनके फलस्वरूप, पूँजी, वस्तुओं और/या तकनीकी जानकारी का सीमाओं के आर-पार प्रवाह बढ़ती हुई मात्रा में होता है प्रबंधक ऐसे निर्णय अधिकाधिक मात्रा में इसलिए लेते हैं कि विश्वव्यापीकरण अधिक व्यवहार्य और वांछनीय होता जा रहा है। इस संबंध में निम्नलिखित चार प्रवृत्तियाँ देखने में आती हैं :

1) अधिकाधिक देश निर्बाध बाज़ार की विचारधारा को अपनाते जा रहे हैं।

   जिन देशों का उद्योगीकरण हो चुका है तथा जिनका उद्योगीकरण अभी हो रहा है वहाँ के आर्थिक नीति निर्धारक अब योजना की तुलना में बाज़ार के संबंध में अधिक सोच-विचार करने लगे हैं। इसके संबंध में बहुत कुछ लिखा गया है।

2) आर्थिक संकेंद्रण विकसित देशों की ओर विकासोन्मुख देशों की ओर से बढ़ता जा रहा है।

   आर्थिक उदारीकरण के फलस्वरूप प्रतियोगिता, कुशलता, नवीन प्रक्रियाओं, नए पूँजी-निवेश तथा तेजी से आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा मिलता है। अतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जिन

विकासोन्मुख अर्थव्यवस्थाओं ने बाज़ार तंत्र को अपनाया है वे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के नजदीक आती जा रही है। इस प्रकार विश्व के आर्थिक आकर्षण का केंद्र बदलता जा रहा है। जो भी कंपनी अपना विस्तार करना चाहती है उसे उस स्थान पर जाना पड़ता है जहाँ संवृद्धि हो रही है। विश्व के शीर्षस्थ 500 उद्योग निगमों में से अधिकतर के लिए संवृद्धि की संभावनाएँ देशीय बाज़ार में बहुत ही कम हैं।

3) प्रौद्योगिकीय प्रगति सदा ही संचार में सुधार लाती जा रही हैं।

   1980 से हवाई परिवहन, दूर-संचार और कंप्यूटरों की लागतें बहुत ही अधिक घटी हैं। परिवहन लागतों के कम होने के फलस्वरूप माल का भाड़ा घटता जा रहा है जहाँ तक कंप्यूटरों और दूर-संचार का संबंध है, इनकी लागतों के घटने तथा वीडियो कन्फरेन्सिंग और ई-मेल प्रौद्योगिकियों का हाल में व्यापक रूप से प्रयोग के फलस्वरूप दूर-दूर पर होने वाले कार्यों के बीच समायोजन अधिक विश्वसनीय और कुशलतापूर्वक किया जाने लगा है।

4) सीमाओं को व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिक हस्तांतरण के लिए खोलने से कंपनियों के लिए केवल नए बाज़ार के अवसर ही प्राप्त नहीं होते बल्कि देशीय बाज़ारों में बाहर के प्रतियोगियों का प्रवेश भी होता है। प्रतियोगिता के बढ़ने के साथ ही साथ निम्नलिखित के संबंध में प्रतियोगियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है– ग्राहकों की सेवा करने, बड़े पैमाने की किफायतों को प्राप्त करने, इष्टतम स्थान पर लागत को घटाने और किस्म में सुधार लाने और प्रौद्योगिकीय विश्वव्यापीकरण ऐसी प्रक्रिया हो गया है जिसमें विकास अपने आप ही होने लगता है।

25.3.2 विश्वव्यापीकरण क्या कोई नई घटना है?

लोगों के बीच आम धारणा है कि इस समय जो विश्वव्यापीकरण विश्व की अर्थव्यवस्था के स्वरूप को बदल रहा है वह बिल्कुल नई घटना है तथा यह भूतकाल से मूलतः निम्न हैं लेकिन यह धारणा सही नहीं है। विश्वव्यापीकरण कोई नई बात नहीं हैं। बीसवीं सदी के अंतिम वर्षों की विश्व अर्थव्यवस्था अनेक वर्षों में उन्नीसवीं सदी के अंतिम वर्षों की अर्थव्यवस्था के ही जैसी हैं इसके अतिरिक्त इतिहास से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि 'हमारे वर्तमान में भूतकाल छिपा होता है'।

25.3.3 विश्वव्यापीकरण के लाभ

प्रो. दीपक नायर ने जोर देकर कहा है कि विश्वव्यापीकरण के द्वारा अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण का लाभ केवल उन्हीं देशों को होगा जिन्होंने उद्योगीकरण और विकास के लिए आवश्यक आंधार तैयार कर लिया है। इसका अर्थ होता है मानव संसाधनों के विकास और भौतिक आधारिक संरचना के निर्माण में निवेश करना। इसका अर्थ है कृषि क्षेत्रक में उत्पादिता को बढ़ाना। इसका अर्थ है व्यष्टि स्तर पर औद्योगिकीय और प्रबंधकीय क्षमता प्राप्त करना। इसका अर्थ है ऐसी संस्थाओं का निर्माण करना जो बाज़ार के कार्यों का नियमन और विनियमन कर सकें तथा उन्हें सुविधाजनक बना सकें। इनमें से प्रत्येक लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकार की ओर से हस्तक्षेप आवश्यक होता है। जो देश इन पूर्व शर्तों का सृजन नहीं कर पाए हैं वे आय का विश्वव्यापीकरण किए बिना ही कीमतों का विश्वव्यापीकरण कर देंगे। इस प्रक्रिया में उपभोग के स्वरूपों और जीवन शैलियों के रूप में इन देशों की जनसंख्या के छोटे से भाग का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण तो हो जाएगा लेकिन जनसंख्या के बहुत बड़े भाग की हालत और भी बदतर हो जाएगी।

25.3.4 विश्वव्यापीकरण और राज्य

विश्वव्यापीकरण ने यदि राजनैतिक अर्थ में नहीं तो आर्थिक अर्थ में राष्ट्र-राज्यों की स्वायत्तता को तो कम कर दिया है। फिर भी स्वतंत्रता की कुछ ऐसी मात्रा है जिसका उपयोग उद्योगीकरण और विकास के लिए

किया जाना चाहिए। विश्वव्यापीकरण के संदर्भ में विकास की किसी समुचित युक्ति का उद्देश्य होना चाहिए। राष्ट्रीय हित और विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक अवसरों का निर्माण करना।

समय, स्थान और दृष्टि से विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया एक समान नहीं रही है। इस प्रक्रिया में अंतर्निहित असमानताओं और असमितियों के चलते मुख्यतः राजनैतिक कारणों से उन्नीसवीं सदी के अंत में असमान रूप से विकास हुआ। परंतु आज के समय में मुख्यतः आर्थिक कारणों से ये असमान रूप से विकास करेंगी। खतरा यह है कि कुछ देशों में तो सम्पन्नता बिल्कुल ही नहीं आ पाएगी। विकास की प्रक्रिया से इन देशों को दूर रखने के फलस्वरूप विश्व के निवासियों के बीच की आर्थिक दूरी बढ़ती जाएगी। परंतु यह ऐसी स्थिति को ऐसे विश्व में बनाए रखना कठिन होगा जहाँ प्रदर्शन-प्रभाव सशक्त है तथा जिसमें विश्वव्यापीकरण के फलस्वरूप उपभाग के स्वरूप को उन्नत करने तथा जीवन शैली को और आधुनिक करने के प्रति लोगों की आकांक्षाएँ बढ़ती जा रही हैं। आर्थिक वंचन (economic deprivation) के फलस्वरूप सामाजिक असमानता और राजनैतिक पृथकता (राजनीति के प्रति उदासीनता) बढ़ेगी।

प्रो. नायर का कहना सही है कि विकासोन्मुख देशों के राष्ट्र राज्य इन समस्याओं से बच नहीं सकते। विश्वव्यापीकरण के समर्थकों को यह मानना होगा कि न तो हम इतिहास के अंत तक पहुँचे हैं और न ही भूगोल के अंत तक। इतिहास के अंत तक हम इस अर्थ में नहीं पहुँचे हैं कि बाज़ार पूर्वी यूरोप के देशों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार नहीं ला सके तथा वहाँ के साम्यवादी अपनी नीतियों में कुछ हेर-फेर करके चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर पुनः एक-एक करके सभी देशों का शासन अपने हाथ में लेने लगे हैं। भूगोल के अंत में हम इसलिए नहीं पहुँचे हैं कि राष्ट्र राज्यों का अस्तित्व राजनैतिक शून्यता में नहीं हो सकता तथा उन्हें अपनी जनता के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करना होगा। इसके अतिरिक्त राज्य की सामरिक आर्थिक और राजनैतिक भूमिका होती है जिसे स्वीकार करना होगा और उन्हें पूरा करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इतिहास अपने को पुनः दुहराएगा और विश्वव्यापीकरण के फलस्वरूप असमान विकास होगा।

कितनी ही मात्रा में क्यों हो, परंतु विश्वव्यापीकरण हो चुका है तथा इसमें कमी आने की संभावना नहीं है। दिन-प्रतिदिन बढ़ते हुए विश्वव्यापीकरण के प्रति चिंता व्यक्त की जाने लगी है। आम धारणा यह है कि विश्वव्यापीकरण से श्रमिकों का अहित होता है, विशेषतः अकुशल श्रमिकों का। राष्ट्रीय कल्याण की दृष्टि से विश्वव्यापीकरण के लाभ तो हैं, लेकिन राष्ट्र के विशेष समूहों के लिए समायोन लागतें भी होती हैं : विश्वव्यापीकरण जीतने वाले और हारने वाले प्रकट होते हैं। आयात प्रतियोगिता के फलस्वरूप विस्थापित श्रमिक समूहों का आयोजन धीरे-धीरे तथा महत्त्वपूर्ण लागतों के साथ होता है, जैसे कि नए अवसरों और पुनः स्थापन के संबंध में सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता तथा फार्म या उद्योग से संबंधित ज्ञान की क्षति। नीति निर्धारकों को चाहिए कि वे संभाव्य विस्थापन को ध्यान में रखें तथा सुनिश्चित कर लें कि जो लोग विस्थापित होते हैं उनकी हालत और भी खराब न हो। इसलिए पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है। जिससे विपरीत सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को न्यूनतम किया जा सके और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में विस्थापित श्रमिकों को पुनः काम दिया जा सके। किसी पुनर्गठन के फलस्वरूप जिन संसाधनों को बचाया जाता है, उनका उपयोग राज्य द्वारा किए जाने वाले आवश्यक निवेश में किया जा सकता है। यह कार्य अधिक कुशल और आरोही कराधान नीति के द्वारा किया जा सकता है, जिससे देश के अंदर संसाधनों का निर्माण हो सके। इस संबंध में मुख्य चुनौती है सरकार के कार्यों का बाज़ार की शक्तियों के साथ मेल बैठाना, जिससे विश्वव्यापीकरण के अंतर्गत विकास की गति को तेज किया जा सके। इस ढाँचे के अंतर्गत विचार करने की बात यह है कि व्यष्टि-आर्थिक नीतियों का निर्धारण करने संबंधी सरकार के प्रयासों और उनकी क्षमता पर विश्वव्यापीकरण का किस सीमा तक विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सुमित राय, (1997)

विश्व के अत्यंत निर्धन लोगों का एक तिहाई भाग भारत में रहता है, अतः विश्व की निर्धनता को घटाने में अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण करने तथा अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करने का विशेष महत्त्व है। सैद्धांतिक रूप से यदि हम देखें तो विश्वव्यापीकरण के ढाँचे में

देशीय और अंतरराष्ट्रीय नीतियों पर जोर देना होगा। इस संबंध में एक ऐसा प्रकार विज्ञान (typology) सोच निकालने की आवश्यकता है जो किसी विकासोन्मुख देश के आर्थिक ढाँचे को परिभाषित कर सके जिससे विश्व के साथ आदान-प्रदान को तथा अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ अनुकूल के क्षेत्र को भली-भाँति समझा जा सके। भारत को एक बहुत बड़ी, बंद तथा संरक्षित अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है, जो उद्योगीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही है, जिसमें व्यापार और निवेश की सीमित भूमिका है, यहाँ प्रतिव्यक्ति आय कम है, कृषि क्षेत्रक तथा इस अर्थव्यवस्था में असमानता बहुत ही अधिक है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले इस बात पर जोर देना चाहिए। कृषि के क्षेत्रक में विकास हो सके, जिसके अंतर्गत आधारिक संरचना, ऋण और प्रौद्योगिकी में निवेश करना शामिल है। इसके साथ ही साथ संस्थागत तंत्र की स्थापना करना भी आ जाता है जिससे अत्यधिक असमान कृषि ढाँचा का सुधार किया जा सके। सच्चाई तो यह है कि उद्योगजनित पदार्थों के लिए देश के अंदर माँग को बढ़ाने में कषि में विकास का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके लिए आवश्यक होता है निम्नलिखित के संबंध राज्य की ओर से महत्त्वपूर्ण रूप से हस्तक्षेप किया जाए– कौशल प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण का निर्माण करने, अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देने, जिसमें ऋण के संबंध में सहायता भी शामिल है तथा प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया को आकार प्रदान करने, जिसमें निजी क्षेत्रक की *भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इन* कार्यों में रोज़गार के अवसरों को लाने और गरीबी कम करने संबंधी नीतियों का भी बहुत अधिक योगदान होता है, जिनसे विशेषता बाज़ार अर्थव्यवस्था के संक्रमण काल में सामाजिक समर्थन और मानव-पूँजी की व्यवस्था होती है। दूसरी बात यह है कि बाहरी देशों के संबंध में अपनाई जाने वाली नीतियाँ देश के अंदर अपनाई जाने वाली नीतियों की पूरक होनी चाहिएँ। अर्थात् प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इस प्रकार होने चाहिए कि देश के अंदर के विकास ढाँचे को बल मिल सके। परंतु इन सबके लिए आवश्यक है कि श्रम बाज़ार के अधिक लचीला होने, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के अधिक कुशल होने, चयनात्मक निजीकरण तथा यहाँ तक कि बीमार सार्वजनिक उद्योगों को बंद करने की आवश्यकता और उनकी गुंजाइश के संबंध में भलीभाँति मूल्यांकन किया जाए।

उदारीकरण और बढ़ते हुए विश्वव्यापीकरण का अर्थ है भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होने देना। इसके लिए अनेक लक्ष्यों को सामने रखना होता है– जैसे कि समष्टि आर्थिक स्थायित्व, संवृद्धि और निर्धनता में कमी करना। भारत इन लक्ष्यों के अनुसार कहाँ तक कार्य कर सकेगा और नई प्रक्रिया के ऋणात्मक प्रभाव को कहाँ तक कम कर सकेगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उदारीकरण के पहले की आर्थिक समस्याओं का समाधान कहाँ तक किया जाता है। इस ढाँचे के अंतर्गत नीति निर्धारकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि संवृद्धि को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने के लिए बाज़ार की शक्तियों के साथ सरकार के कार्यों का कहाँ तक तालमेल बैठाया जाता है। निम्नलिखित के पुनःपरीक्षण के संबंध में सरकार को महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी– आर्थिक संवृद्धि में कृषि का योगदान, असमान कृषि ढाँचे में सुधार लाने की गुंजाइश तथा कृषि और उद्योग क्षेत्रकों के निवेश का स्वरूप। इसके साथ ही साथ गरीबी कम करने संबंधी समुचित नीतियाँ अपनानी होंगी, तथा रोज़गार के कार्यक्रमों तथा स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी नीतियों को भी अपनाना होगा, जिससे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और मानव पूँजी का सृजन हो सके। इन सबके साथ चयनात्मक उदारीकरण की नीतियों को भी अपनाना होगा, जिससे अर्थव्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतियोगी बनाया जा सके।

इस विश्लेषण से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में संवृद्धि लाने और गरीबी दूर करने के लक्ष्य को पूरा करने तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाने के संबंध में सरकार को प्रमुख भूमिका अदा करनी होगी। इसके लिए आवश्यक होगा आर्थिक संवृद्धि को तेज करने में कृषि की भूमिका के संबंध में पुनः विचार करना, ढाँचा और प्रौद्योगिकीय सहायता में सुधार करना तथा मूल उद्योगों को सहायता प्रदान करना। इनके साथ ही साथ रोज़गार कार्यक्रमों को चलाने और मानव पूँजी में निवेश पर भी जोर देना होगा, जिनमें पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार लाना शामिल है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक को अधिक कुशल बनाकर इन कार्यों को करना होगा : जिससे विश्वव्यापीकरण के संबंधी लाभों को अधिकतम किया जा सके।

बोध प्रश्न 2

1) विश्वव्यापीकरण से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) विश्वव्यापीरकण के बढ़ने के चार कारक बताइए।

.....

.....

.....

.....

.....

3) विश्वव्यापीकरण से कौन-कौन से लाभ संभव हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

25.4 निजीकरण की संकल्पना

निजीकरण का अर्थ अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग होता है। सीमित अर्थ में इससे अभिप्राय होता है स्वामित्व को सार्वजनिक हाथों (अज्ञात नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों के) से लेकर निजी हाथों (ज्ञात व्यक्तियों के) में देना। व्यापक अर्थ में इससे अभिप्राय होता है प्रतियोगिता को बढ़ावा देना अर्थात् बाज़ारीकरण और उदारीकरण की स्थिति लाना, जिसमें माँग और पूर्ति किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा निदेशित या नियंत्रित नहीं होती बल्कि उन्हें मुक्त रूप से अपना कार्य करने दिया जाता है। इन दिनों के बीच की स्थितियाँ निम्नलिखित होती हैं– सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों (PSUs) की ईक्विटी के बहुत बड़े भाग या एक छोटे भाग को सरकार निजी क्षेत्रक को बेच देती है। सार्वजनिक क्षेत्रक को उद्यमों (PSEs) के कुछ कार्यों को निजी क्षेत्रक द्वारा कराया जाता है, कुछ क्षेत्रक या उद्योग जो अब तक सार्वजनिक क्षेत्रक के बीच समझौता ज्ञापन (MOU) हस्ताक्षरित किया जाता है। उपर्युक्त सभी ढंगों से कार्य किए गए हैं और उनके अलग-अलग परिणाम निकले हैं। इसके अतिरिक्त विश्व में निजीकरण को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। उदाहरणार्थ यू.के. में विराष्ट्रीयकरण (denationalisation), मैक्सिको में विनिगमन (disincorporation), आस्ट्रलिया में प्राथमिकताकरण (prioritisation), न्यूज़ीलैंड में परिसंपत्ति विक्रय कार्यक्रम (asset-sales program), थाईलैंड में रूपांतरण (transformation), श्रीलंका में लोककरण (people-isation) और पाकिस्तान में विनिवेश (disinvestment) के नाम से।

1983 में प्रकाशित पेंनगिइन अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (Penguin Dictionary of Economics) में

निजीकरण को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया : (क) राष्ट्रीयकृत उद्योगों या अन्य वाणिज्य उद्यमों में सरकार के स्वामित्व अधीन ईक्विटियों का विक्रय, जिसके द्वारा संगठन पर सरकार का नियंत्रण बना रह सकता है, समाप्त भी हो सकता है; (ख) संकल्पना के रूप में निजीकरण जिसके अंतर्गत विराष्ट्रीयकरण भी आ जाता है (जहाँ सरकार अपनी होल्डिंगें बेच देती है); (ग) विनियमन को हटाना (जहाँ कानूनी पाबंदियों को हटा दिया जाता है, जिससे निजी उद्यम प्रतियोगिता करने की स्थिति में आ जाते हैं), तथा फ्रैंचाइजिंग (जब किसी निश्चित समय के लिए ठेका दिया जाता है– इस स्थिति में निजी क्षेत्रक उत्पादन करता है तथा सार्वजनिक क्षेत्रक उत्पादित माल को लोगों तक पहुँचाता है)।

उपर्युक्त परिभाषा कोश के बाद संस्करण में निजीकरण की पुनः परिभाषा की गई। इसके अनुसार सरकार के स्वामित्व के अधीन ईक्विटियों के विक्रय के अतिरिक्त निजीकरण के अन्य रूप हैं : सरकार द्वारा समर्थित कार्टेल पर विनियमन को हटाना तथा मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों द्वारा लिए जाने वाले कार्यों को निजी क्षेत्रक को उप-ठेके पर देना। इस समय मुख्य रूप से चुनौती है बाज़ार के साथ राज्य के कार्यों का तालमेल बैठाना जिससे विश्वव्यापीकरण के अंतर्गत विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इस प्रक्रिया में गरीब लोगों की ओर से भी प्रमुख भूमिका होनी चाहिए।

निजीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित अनेक संभावनाएँ आ जाती हैं जिनके एक छोर पर तो विराष्ट्रीयकरण है और दूसरे छोर पर बाज़ार का अनुशासन होता है :

1) सार्वजनिक परिसंपत्तियों (फर्मों या फर्मों के भागों– आंशिक निजीकरण) या निजी परिसम्पत्तियों का निजी व्यक्तियों को हस्तांतरण (विक्रय)।
2) व्यक्तिगत सार्वजनिक आपूर्ति कार्यों को निजी व्यक्तियों को हस्तांतरण (अर्थात् उप-ठेके पर देना), कार्यात्मक निजीकरण भी।
3) लाभ-उन्मुख प्रबंध के अर्थ में निजी व्यवसाय प्रबंध का संक्रमण।
4) सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंध में स्वायत्तता की मात्रा को बढ़ाना।
5) औपचारिक प्रावधानों और कार्य करने के संबंध में अधिकार के प्रत्यायोजन के अर्थ में विकेन्द्रीयकरण।
6) निर्णय लेने, योजना बनाने और कार्य करने के संबंध में अधिकार के प्रत्यायोजन के अर्थ में विकेन्द्रीयकरण।
7) जिन शर्तों के अधीन निजी फर्में कार्य करती हैं उन्हीं के अनुरूप सार्वजनिक उद्योगों को भी करना।
8) बाज़ार प्रक्रियाओं द्वारा प्रतियोगिता को बढ़ावा देना (या प्रोत्साहनों की बाज़ार जैसी प्रणालियाँ)।
9) 'प्राकृतिक एकाधिकार' के परंपरागत दलीलों पर ध्यान देते हुए सरकारी एकाधिकारों को समाप्त करना।
10) मजदूरी तथा कार्यों और रोजगार संबंधी जो शर्तें निजी क्षेत्रक पर लागू होती हैं, उन्हें अपनाना। नौकरियों का निजीकरण करना।
11) लोकोपयोगी सेवाओं के स्वरूप और क्षेत्र में एकपक्षीय कटौती करना।
12) सार्वजनिक संसाधनों का निजीकरण।
13) *लोक राजस्व* (public revenue) *का निजीकरण :* सार्वजनिक निवेशों से प्राप्त होने वाली आय को निजी लाभ का रूप देना, या सार्वजनिक पूँजी और उसकी आय तक निजी क्षेत्र की पहुँच होने देना।
14) *विराष्ट्रीयकरण : अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का दबाव :* विदेशी बाज़ारों में बढ़ते हुए कार्य, पूँजी शेयरों और विदेशियों द्वारा बेचने के अधिकार का उत्तरदायित्व देना।

25.5 भारत में आर्थिक सुधारों का औचित्य

1991 में जब नई सरकार ने कार्यभार संभाला तब उसके सम्मुख दो कार्य थे :

1) राजकोषीय घाटों और भुगतान शेष घाटों को कम करके व्यष्टि-आर्थिक स्थिरता को पुनः स्थापित करना, और

2) आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को पूरा करना अर्थात् संरचनात्मक समायोजन जिसे पिछले दस वर्षों में क्रमिक रूप में और रुक-रुककर आंशिक आधार पर किया गया था।

वर्तमान आर्थिक सुधारों के घोषित लक्ष्य एक क्रांतिकारी कदम है। इन सुधारों का लक्ष्य निम्नलिखित को प्राप्त करना था :

i) राजकोषीय, मौद्रिक और विनिमय दर नीतियों द्वारा स्थायित्व और समष्टि आर्थिक संतुलन स्थापित करना,
ii) उदार व्यापार प्रणाली की स्थापना, जिससे अन्य विकासोन्मुख देशों के समान ही आयात-लाइसेंस और तटकर दरों की कठिनाइयाँ न हों,
iii) ऐसी विनिमय दर प्रणाली जिसके अंतर्गत रुपये को परिवर्तनीय बना दिया जाए, कम से कम भुगतानों शेषों के चालू खाता लेन-देनों के लिए,
iv) सही विनियमों के साथ प्रतियोगी वित्त प्रणाली
v) अनेक नियंत्रणों से मुक्त उद्योग क्षेत्रक, और
vi) स्वायत्त, प्रतियोगी और सुप्रवाही सार्वजनिक उद्यम क्षेत्रक।

निवेश, उत्पाद-मिश्रण, कीमत निर्धारण आदि के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिकार के अधि-संकेंद्रण के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पास पर्याप्त रूप में स्वायत्तता नहीं रही जिससे वे व्यवसाय के रूप में टिके रहें। दूसरी ओर चूँकि देशीय बाज़ार संरक्षित था अतः निजी उद्यमों के लिए आवश्यक नहीं था कि वे कार्य-कुशलता में सुधार लाएँ और अपने उत्पादों को बेहतर बनाएँ। नीति-निर्धारकों का मानना था कि अर्थव्यवस्था के उद्योग और विदेशी व्यापार क्षेत्रक पर कठोर नियंत्रण प्रणाली के होने के कारण ही पिछले 40 वर्षों से भारत में संवृद्धि की दर धीमी और अपर्याप्त रही। इसीके फलस्वरूप इस देश में आर्थिक सहायता और अकुशलता की अर्थव्यवस्था हो गई है। इसी पृष्ठभूमि में 1991 में नई आर्थिक नीति (NEP) की शुरुआत हुई, जिसका सबसे प्रमुख भाग नई उद्योग नीति (NIP) था। 1991 की नई उद्योग नीति भारत में व्यापक संरचनात्मक समायोजन (structural adjustment) कार्यक्रम का एक प्रमुख भाग था जिसकी शुरुआत इस घोषित उद्देश्य के साथ की गई कि 1951-1990 के बीच की अवधि में जिस योजनाबद्ध आर्थिक विकास की नीति को अपनाया गया था उसके स्थान पर एक ऐसी नीति अपनाई जाए कि अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली में मूलभूत रूप से परिवर्तन आ जाए।

उदारीकरण आर्थिक नीति में परिवर्तनों की एक प्रक्रिया है जिसकी 1991 से विशेष रूप से शुरुआत घोषित राज्य नीति के रूप में की गई थी। इसकी अपनी आर्थिक, राजनैतिक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक की ओर से आर्थिक सहायता से की गई। बाद में इसे एशियाई विकास बैंक (ADB) से भी आर्थिक सहायता मिली। इस सुधार पैकेज (जिसे आमतौर पर नई आर्थिक नीति कहा जाता है) के अंतर्गत समष्टि– आर्थिक स्थिरीकरण नीतियाँ और संरचनात्मक समायोजन नीतियों के क्षेत्र आ जाते हैं।

गल्फ युद्ध के बाद की अवधि में अर्थात् 1990-91 में भारत की भुगतान शेष के संबंध में स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी। इसके साथ राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा था, मुद्रा स्थिति की दर बढ़ रही थी तथा विदेशी मुद्रा रिज़र्व कम होता जा रहा था।

25.5.1 आर्थिक सुधारों के घटक

नीतियों में प्रमुख परिवर्तनों को आर्थिक सुधार या उदारीकरण कहा जाता है। संक्षेप में ये परिवर्तन निम्नलिखित होते हैं :

1) समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण के उपाय, जिसके अंतर्गत आते हैं (क) भुगतान शेष संकटों की व्यवस्था, (ख) राजकोषीय घाटे का प्रबंध और (ग) मुद्रा नीतियों में सुधार।
2) क्षेत्रकों के संबंध में प्रमुख संरचनात्मक समायोजन सुधार, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं :

(क) व्यापार नीति (और संबंधित नीति) में सुधार, (ख) उद्योग नीति में सुधार, (ग) सार्वजनिक क्षेत्रक के संबंध में नीति सुधार, (घ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (NRIs) सहित, प्रौद्योगिकी और ईक्विटी सहभागिता को आकर्षित करने की नीतियाँ, (च) भारतीय रिज़र्व बैंक से निवेश के लिए शीघ्रता से अनुमोदन प्राप्त हो सके, इसके लिए प्रशासनिक सुधार, (छ) कर-ढाँचा में सुधार, (ज) पूँजीगत पदार्थों और उपभोक्ता पदार्थों के संबंध में टैरिफ सुधार, (झ) वित्तीय क्षेत्रक मे सुधार तथा (ञ) कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में सुधार।

3) सामाजिक लागतों को बाँटने के उपायों का सुधार, जिसके अंतर्गत आते हैं (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में सुधार तथा (ख) राष्ट्रीय नवीकरण योग्य कोष (NRF) की स्थापना।

जुलाई 1991 की नई उद्योग नीति (NIP) के चलते कुछ मूलभूत नीति परिवर्तन किए गए, जैसे कि लाइसेंस प्रणाली को लगभग समाप्त कर देना, (MRTP) और (FERA) में निहित कठिनाइयों में कमी करना, सार्वजनिक क्षेत्रक के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या को घटाना, विदेशी प्रौद्योगिकी समझौतों और 51% विदेशी ईक्विटी के लिए स्वतः स्वीकृति राज्य विद्युत बोर्डों की नई भूमिका को स्पष्ट करना, आधारिक पूँजीगत पदार्थों का निर्बाध रूप से आयात, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए टैरिफ में कमी, पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए परिवहन सहायता, राष्ट्रीय नवीकरण कोष, लघु आकार के उद्योगों पर नियंत्रण को हटाना तथा FDI, नई प्रौद्योगिकी और (NRI) निवेश को आकर्षित करने के लिए उदार नीति। इन अत्यंत उदार नीतियों का लक्ष्य था प्रतियोगी परिवेश का निर्माण करके भारत के उद्योगों की उत्पादिता और कार्य-कुशलता में वृद्धि करना।

बोध प्रश्न 3

1) निजीकरण से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

2) निजीकरण क्या केवल विराष्ट्रीकरण को ही कहा जाता है?

.....

.....

.....

.....

.....

3) उन परिस्थितियों के संबंध में संक्षेप में वितरण दीजिए जिनके अंतर्गत भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम की शुरुआत की गई।

.....

.....

.....

.....

.....

4) भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

25.6 सारांश

जुलाई 1991 में भारत सरकार ने आर्थिक सुधार संबंधी बहुत पैमाने पर कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य था भारतीय अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध ढाँचे से निकालकर बाज़ार उन्मुख व्यवस्था की ओर ले जाना। इस संबंध में हमने इस इकाई में उदारीकरण, निजीकरण तथा विश्वव्यापीकरण संकल्पनाओं की व्याख्या की है। उदारीकरण आर्थिक नीति में परिवर्तन की प्रक्रिया है। विश्वव्यापीकरण का अर्थ है वस्तुओं, पूँजी, प्रौद्योगिकी और श्रम का गमनागमन होना। विश्वव्यापीकरण समस्त विश्व के अर्थ में, एक देश के अर्थ में, किसी विशेष उद्योग के अर्थ में, किसी कम्पनी के अर्थ में, किसी व्यवसाय शृंखला के अर्थ या किसी कम्पनी के अंतर्गत कार्य के अर्थ में हो सकता है। जहाँ तक भारत का संबंध है विश्वव्यापीकरण से संभावित लाभों को अधिकतम करने के संदर्भ में विश्वव्यापीकरण की नीतियों को पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता है। निजीकरण को हम दो अर्थों में ले सकते हैं। सीमित अर्थ में और व्यापक अर्थ में। सीमित अर्थ में इससे अभिप्राय होता है 'स्वामित्व को सरकार के हाथ में से लेकर निजी हाथ में देना'। व्यापक अर्थ में इससे अभिप्राय होता है प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देना। अर्थात् बाज़ारीकरण या उदारीकरण। इस स्थिति में माँग और पूर्ति किसी प्राधिकरण द्वारा निर्देशित या नियंत्रित नही होते बल्कि उन्हें मुक्त रूप से कार्य करने दिया जाता है।

25.7 शब्दावली

उदारीकरण (Liberalisation) : वह नीति जिसके द्वारा उद्योग पर लगाए गए विभिन्न प्रकार के नियंत्रणों और प्रतिबंधों को हटाने का प्रयास किया जाता है।

संरक्षण (Protection) : वह नीति जिसके द्वारा तटकर और गैर-तटकर रोधों को बढ़ाकर विदेशी प्रतियोगिता से देशीय उत्पादकों को संरक्षण प्रदान किया जाता है।

विराष्ट्रीयकरण (Denationalisation) : किसी उत्पादन इकाई के स्वामित्व और उसकी पूँजी को सरकार के हाथ से लेकर निजी उद्यम के हाथ में देना।

विश्वव्यापीकरण (Globalisation) : वस्तुओं, सेवाओं और पूँजी के निर्बाध प्रवाह पर अवरोधों को हटाना।

निजीकरण (Privatisation) : निजी पूँजी और उद्यम की भूमिका को बढ़ाना।

25.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

Gupta, Anand P.(1996) : "Political Economy of Privatisation in India", *Economic and Political Weekly*, September 28.

Kalirajan, K.P. and R.T. Shand (1996) :"Public Sector Enterprises in India: Is Privatisation the only answer?" *Economic and Political Weekly*, Sept. 28.

Gupta, G.S. (1996) : Privatisation: Theory, Issues and Practices (in *National Workshop on Economic Liberalisation: Consumer, Investor and Environment Interest*, proceedings of a workshop, November 1-3, Consumer Education and Research Centre, Ahmedabad).

Nayyar, Deepak (1995) :"*Globalisation, The Past in Our Present*" (Presidential address at the 78th Annual Conference of Indian Economic Association, Chandigarh, December 28-30).

Oman, Charles (1995) : "*Globalisation and Regionalisation: The Challenge for Developing Countries*", OECD, Paris.

Roy, Sumit (1997) : "Globalisation, Structural Change and Poverty: Some Conceptional and Policy Issues". *Economic and Political Weekly*, Aug. 16-30.

United Nations (1996) : UNCTAD's Secretary General's Report on Globalisation and Liberalisation, UN, USA, New York.

Shonughtyer, Mathew J. and Philip Swagel (1997) : "Does Globalisation Lower Wages and Export Jobs? IMF, Washington. D.C; USA

25.9 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा दिशा-संकेत

बोध प्रश्न 1

1) भाग 25.1 देखिए।

2) उपभाग 25.2.1 देखिए।

3) उपभाग 25.2.2 देखिए।

बोध प्रश्न 2

1) भाग 25.3 देखिए।

2) उपभाग 25.3.1 देखिए।

3) उपभाग 25.3.3 देखिए।

बोध प्रश्न 3

1) भाग 25.4 देखिए।

2) भाग 25.4 देखिए।

3) भाग 25.5 देखिए।

4) भाग 25.5 देखिए।